4575

4486

अदरी 08dismil

Government of Jharkhand

Receipt of Online Payment of Stamp Duty

NON JUDICIAL

Receipt Number : 6137ff37435158107b2c

Receipt Date : 06-Nov-2020 01:43:39 pm

Receipt Amount : 145499/-

Amount In Words : One Lakh Forty Five Thousands Four Hundred And Ninety Nine Rupees Only

Token Number : 20200000096102

Office Name : SRO - Palamu

Document Type : Gift

Payee Name : CHANDRA PRAKASH (Vendee)

GRN Number : 2002668484

-: For Office Use :-

नन्द किशोर महतो

6.11.2020

06/11/2020

इस रसीद का उपयोग केवल एक ही दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु ही किया जा सकता है। पुनः प्रिन्ट कर अथवा फोटो कॉपी आदि द्वारा इसी रसीद का दूसरे दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु उपयोग भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा 62 अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

Save ID: 2307946

14513

अभि प्रमाणित
किस्मत महतो
दस्तावेज लिपिक लाoनंo 111,
मेदिनीनगर, पलामू

Online Fee Paid
ID: 2002668484

A(1) ......46130......
L. L. R. .....3.....
P. Fee .....1.....
46197

प्रतिबंधित भूमि से फ्लॉट संख्या ...1306 etc... मुक्त है।

(1). लेख्यकारी का नाम एवं पूरा पताः—

श्री नंदकिशोर महतो पिता स्व0 कुंज बिहारी महतो निवासी ग्राम सुदना डाकघर सुदना थाना डालटनगंज (मेदिनीनगर) जिला पलामू राज्य झारखण्ड नगरनिगम वार्ड नं0— 10, जाति कोईरी, धर्म हिन्दू राष्ट्रियता भारतीय, पेशा खेती

आधार नं0— 2551 4685 5445 पैन नं0:—BQRPM9965L

शपथ पत्र सं0— 2269 दिनांक— 06-11-2020

(2) लेख्यधारीगण का नाम एवं पूरा पताः—

1. श्री रवि प्रकाश
2. श्री चन्द्र प्रकाश

दोनो के पिता श्री नंदकिशोर महतो

दोनो निवासी ग्राम सुदना, डाकघर सुदना, थाना डालटनगंज (मेदिनीनगर) जिला पलामू राज्य झारखण्ड नगर निगम वार्ड नं0— 10 जाति कोईरी, धर्म हिन्दू, राष्ट्रियता भारतीय।

लेख्यधारी नं0— 1 का पेशा शिक्षित बेरोजगार

शपथ पत्र सं0 2270 एवं 2271- दिनांक: 6.11.2020

Save ID: 2307746

14548

अभि प्रमाणित
किस्मत महतो
स्तावेज लिपिक ला०नं० 111,
मेदिनीनगर, पलामू

Online Fee Paid
ID/ 2002668484

प्रतिबंधित भूमि से प्लॉट
संख्या ..1306 0th.. मुक्त है।

A (1) ....46130....
L. L. R. ....3....
P. Fee ....1....
4619

(1). लेख्यकारी का नाम एवं पूरा पताः–

श्री नंदकिशोर महतो पिता स्व० कुंज बिहारी महतो निवासी ग्राम सुदना डाकघर सुदना थाना डालटनगंज (मेदिनीनगर) जिला पलामू राज्य झारखण्ड नगरनिगम वार्ड नं0– 10, जाति कोईरी, धर्म हिन्दू राष्ट्रियता भारतीय, पेशा खेती

आधार नं0– 2551 4685 5445 पैन नं0:–BQRPM9965L

शपथ पत्र सं0– 2269 दिनांक– 06-11-2020

(2) लेख्यधारीगण का नाम एवं पूरा पताः–

1. श्री रवि प्रकाश
2. श्री चन्द प्रकाश

दोनो के पिता श्री नंदकिशोर महतो

दौनो निवासी ग्राम सुदना, डाकघर सुदना, थाना डालटनगंज (मेदिनीनगर) जिला पलामू राज्य झारखण्ड नगर निगम वार्ड नं0– 10 जाति कोईरी, धर्म हिन्दू, राष्ट्रियता भारतीय।

लेख्यधारी नं0– 1 का पेशा शिक्षित बेरोजगार

शपथ पत्र सं0 2270 एवं 2271- दिनांक: 6.11.2020

NOT CERTIFIED

आधार नं0– 8976 1022 0097 पैन कार्ड नं0:–BVTPP8837K

लेख्यधारी नं0– 2 का पेशा– अध्ययन रत छात्र

आधार नं0– 4934 9324 8672 पैन नं0– CSYPP5632H

शपथ पत्र सं0 कमशः– दिनांक–

(3) लेख्य प्रकारः– दानपत्र (Deed of Gift)

(4) लेख्य सम्पति का मूल्यः– मो0 23,09,496/–(तेईस लाख नौ हजार चार सौ छियानबे) रूपये।

(5) लेख्य सम्पतिः– कुल 8.26 (आठ दशमलव दो छः) डिसमिल मुख्य सड़क के किनारे अवस्थित आवासीय जमीन ग्राम सुदना डाकघर सुदना, थाना डालटनगंज (मेदिनीनगर), जिला पलामू निबंधन कार्यालय डालटनगंज (मेदिनीनगर) हकीयत कास्त रैयती जिसका पूर्ण विवरण निम्न प्रकार हैः–

ग्राम	डाकघर	थाना	जिला
सुदना	सुदना	(मेदिनीनगर)	पलामू

तौजी सं0	सर्वे सं0	खेवट सं0	नगरनिगम वार्ड सं0	पंजी दो का होल्डिंग नं0
51 (एकावन)	103 (एक सौ तीन)	01 (एक)	09 ए (नौ ए)	313 (तीन सौ तेरह)

नगरनिगम होल्डिंग नं0–09A0000150000M0

खाता सं0	प्लॉट सं0	रकबा
49 (उनचास)	1306 (तेरह सौ छः)	4.51 डिसमिल
49 (उनचास)	1307 (तेरह सौ सात)	3.75 डिसमिल
कुल 1	2	8.26 डिसमिल (आठ दशमलव दो छः डिसमिल)

चौहदी:– दोनों प्लॉट का एक साथ

उ0– नीज दानकर्ता एवं उनके सह हिस्सेदार

द0– नंद कुमार महतो एवं दानकर्ता तथा उनके सह हिस्सेदार

पू0– नीज दानकर्ता

प0– मुख्य सड़क

लेख्यसम्पति का विवरण वर्गफीट में

लम्बाई– दक्षिण से उत्तर 90 फिट (नंद कुमार महतो के जमीन एवं मकान के बाद से 90 फिट प्रारम्भ होगा जो दक्षिण से उत्तर तक चला जाएगा।

चौड़ाई:– पश्चिम से पूरब 40 फीट मुख्य सड़क के बाद 40 फीट की मापी प्रारम्भ होगी।

कुल 90'x40'= 3600 वर्गफीट

लेख्यसम्पति को इस दस्तावेज के साथ संलग्न नक्शा में लाल रंग से दर्शाया जा रहा है जो इस दस्तावेज का अंश रहेगा।

सालाना मालगुजारी:– कुल 8 रूपये अलावे शेष।

मालिक:– झारखण्ड सरकार द्वारा अंचलाधिकारी मेदिनीनगर।

विदित हो कि खाता सं0– 49 प्लॉट सं0– 1307 कुल रकबा 0.37 एकड़ एवं प्लॉट सं0– 1306 कुल रकबा 0.23 एकड़ अन्य बहुत से प्लॉटों की जमीन के साथ ग्राम सुदना के कॅडेस्ट्रल सर्वे रैयत रघुवर महतो, जदु महतो वो दोआरिका महतो पिता रामधन महतो एक हिस्सा एवं बालगोविन्द महतो पिता प्रसाद महतो एक हिस्सा दर्ज हुआ था और उनके नाम से खतियान भी बना। इस प्रकार उपरोक्त खाता की जमीन उपरोक्त सर्वे रैयत के स्वामित्व एवं कब्जा में उनके जीवनकाल तक रहा। बालगोविन्द महतो अपने पीछे अपना दो पुत्र इश्वर दयाल महतो एवं कुंज बिहारी महतो को

सर्वे रैयत बालगोविन्द महतो के आधा हिस्सा के उत्तराधिकारी उनके दोनो पुत्र हुए। दोनो पुत्रों को अन्य सर्वे रैयत एवं उनके उत्तराधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से खेती–बारी करने में, संयुक्त जमीन को विकसित करने में काफी कठिनाई हो रही थी, अतः इस कठिनाई को सदा के लिए दूर करने के लिए इश्वरदयाल महतो एवं कुंजबिहारी महतो दोनो के पिता स्व0 बालगोविन्द महतो ने सबजज, पलामू के न्यायालय में बंटवारा वाद संख्या 21/1949 दाखिल किये जिसमें उनलोगों के पक्ष में आधा हिस्सा का प्रारम्भिक डिक्री न्यायालय के द्वारा पारित हुआ, तदनुसार बंटवारा आयुक्त की नियुक्ति की गयी तथा उपरोक्त दोनो भाईयों के पक्ष में सभी नालसी जमीन में आधा हिस्सा का तख्ता लगा एवं तख्ताबंदी प्रतिवेदन को समपुष्ट होने के बाद न्यायालय के द्वारा अन्तिम ज़यपत्र भी बना और इस तख्ता में खाता सं0–49 प्लॉट सं0–1306 एवं 1307 की जमीन भी अन्य जमीन के साथ सम्मिलित था।

पुनः विदित हो कि बंटवारा संख्या 21/1949 में इश्वरदयाल महतो एवं कुंज बिहारी महतो के पक्ष में जो तख्ता लगा उसमें दोनो भाईयों का बराबर–बराबर हिस्सा हुआ। कुंजबिहारी महतो का निधन सन् 1980 में हो गया और उनकी विधवा बसंती देवी की भी निधन सन् 2001 में हो गया। इसलिए कुंज बिहारी महतो के आधा हिस्से की जमीन उत्तराधिकार में उनके तीन पुत्र एवं चार पुत्रियों को प्राप्त हुआ, परन्तु कुंज बिहारी महतो के सभी पुत्रियों की शादी सम्पन्न परिवार में हुआ और वे लोग अपने–अपने पति के साथ सुख पूर्वक जीवन व्यतित कर रही हैं, अतः सभी चारो बहनों ने अपने पिता से उत्तराधिकार में प्राप्त अपने हक–हिस्से की जमीन का परित्याग अपने भाईयों के पक्ष में कर दिया। इस प्रकार कुंजबिहारी महतो के तीनों पुत्र क्रमशः रामकृत

महतो, स्व0 गणेश महतो एवं नन्द किशोर महतो उनके द्वारा छोड़े गए जमीन के आधा हिस्सा पर संयुक्त रूप से दखलकार रहते हुए हक एवं कब्जा में है। इश्वरदयाल महतो भी अपने पीछे अपना एकमात्र पुत्र रामलखन महतो और रामलखन महतो अपने पिछे अपना तीन पुत्र शिवनंदन महतो, गुलाबचन्द महतो एवं अनिल महतो को उत्तराधिकारी के रूप में छोडकर मर गये।

पुनः विदित हो कि इश्वरदयाल महतो एवं कुंजबिहारी महतो के उत्तराधिकारियों की संख्या में काफी वृद्धि हो गयी, इसलिए पुराना मौरूसी मकान में सभी लोगों को रहना कठिन हो गया, अतः सभी लोगों ने अपने–अपने सुविधा के मुताबिक आपस में रायविचार कर अलग–अलग घर का निर्माण किये और अपने निर्मित मकान में वें लोग अपने--अपने परिवार के साथ रह रहे है। उसी प्रकार अन्य जमीन के उपयोग एवं उपभोग में आपस में राय मशविरा न मिलने के कारण सुविधानुसार अलग–अलग दखल –कब्जा में रहते हुए खेती–बारी करते चले आ रहे हैं। इसी आपसी सहमति से अलग--अलग खेती–बारी में इस दस्तावेज की लेख्यसंपति लेख्यकारी के हक, दखल--कब्जा एवं स्वामित्व में है और इसके बदले इनके अन्य सह हिस्सेदार दूसरे जमीन पर दाखिल--काबिज हैं। इस तरह से इस दस्तावेज की लेख्यसंपति पर लेख्यकारी का स्वमित्व एवं कब्जा कायम है। वे इसका शान्तिपूर्वक उपयोग एवं उपभोग करते चले आ रहे हैं। इस संपति को इन्होंने न तो किसी भी व्यक्ति, वित्तीय संस्थान या अन्य किसी समूह या समुदाय के पास बंघक रखा है और न ही अन्य कोई मामला किया है यानि लेख्यसंपति हक एवं कब्जा के सभी दोषों से मुक्त है और इसकी संपूर्ण जिम्मेवारी एवं जवाबदेही वे अपने उपर लेते हैं।

नन्द किशोर महतो

उल्लेखनीय है कि लेख्यकारी की आयु लगभग 61 वर्ष की है और वे चौथेपन में प्रवेश कर चुके हैं। उनके तीन संतान हैं जिसमें से दो पुत्र एवं एक पुत्री है। दोनों ही पुत्र इस दस्तावेज के लेख्यधारी हैं तथा लेख्यकारी अपनी पुत्री अर्चना कुमारी की शादी संपन्न परिवार में कर चुके हैं और वह अपने ससुराल में अपने पति के साथ आनन्दपूर्वक रह रही हैं। दोनों पुत्र जब पैदा हुए थे तब गवई परम्परा के अनुसार मुंह दिखाई रस्म के समय इन दोनों को आवासीय जमीन देने का निर्णय लेख्यकारी ने किया था और सभी लेख्ययधारीगण जबतक बालपन अवस्था में थे तबतक लेख्यकारी अपने निर्णय का कार्यान्वयन नहीं कर सके। अब दोनों बालिग हो चुके हैं और इनलोगों के बालपन के अवस्था में किए गए उपरोक्त निर्णय के कार्यान्वयन का समय भी आ गया है। अपने पूर्व की घोषणा को कार्यान्वित करने के लिए लेख्यकारी ने अपने भाई एवं मृत भाई के उत्तराधिकारीगण तथा इश्वरदयाल महतो के जीवित वारीसानों से राय–विचार एवं मश्विरा किया तथा उनलोगों से इस दस्तावेज की लेख्यसंपत्ति का दान पूर्व के निर्णय के अनुसार लेख्यधारी के पक्ष में करने के लिए सहमति देने का आग्रह किया, तब सभी लोगों ने लेख्यकारी के निर्णय पर सहमति देते हुए उसके पूर्व के निर्णय के प्रमाण में दानपत्र लिखने के निर्णय का सराहना भी किये। लेख्यकारी के द्वारा दोनों लेख्यधारियों के पक्ष में बालपन में लिये गये निर्णय के स्वीकृति के लिए उनसे आग्रह किया, तब दोनों बालिग लेख्यधारियों ने लेख्यसंपत्ति को दान में लेने का स्वीकृति प्रदान कर दिया तथा इसके सबूत में वे लोग इस दस्तावेज में स्वीकृति प्रमाण पत्र भी दे दे रहे हैं। इस प्रकार इस स्वीकृति के पश्चात लेख्यकारी इस दस्तावेज के लेख्यसंपत्ति यानि दान लेख्यधारीगण के पक्ष में कर दे रहे

हैं और आज की तिथि से लेख्यसंपत्ति यानि दान संपत्ति से अपना हक, कब्जा एवं स्वामित्व हटाकर लेख्यधारीगण को सौंप दे रहे हैं तथा उन्हें यह अधिकार दे रहे हैं कि वे इस दानसंपत्ति का उपयोग एवं उपभोग शान्तिपूर्वक अपनी इच्छानुसार करे, घर मकान का निर्माण करें या वेलोग जैसा एवं जिस प्रकार भी चाहें इसका इस्तेमाल करें, व्यवसायिक उपयोग में लावें या बिक्री करें। इस दस्तावेज के आधार पर इन दोनों लेख्यधारियों को यह भी अधिकार प्राप्त हो रहा है कि वेलोग दानसंपत्ति का नामांतरण अंचल कार्यालय से विधि सम्मत ढंग से कराते हुए मांग पंजी में अपना नाम दर्ज करवाकर सरकार को मालगुजारी देकर साल–ब–साल रसीद प्राप्त करें।

इस दस्तावेज में लिखी गई उपरोक्त सभी बातों को पढ़कर, पढ़वाकर, सही एवं ठीक पाकर, बिना कोई डर, भय, दबाव, बहकावा एवं फुसलावा के शरीर एवं मन की पूर्ण स्वस्थयता के साथ अपने परिवार के सभी बालिग सदस्यों से राय विचार कर तथा अपने भाइयों एवं इश्वरदयाल महतो के उत्तराधिकारियों से सहमति लेकर दिल की हुलश एवं मन की उमंग के साथ इस दस्तावेज के लेख्यसंपत्ति का दान लेख्यधारीगण के पक्ष में करते हुए स्वतंत्र गवाहों के समक्ष अपना हस्ताक्षर बना दे रहे हैं, जो समय पर काम आवे और लेख्यसंपत्ति के दान का स्थायी प्रमाण रहे।

टंकक

लेखक

Ram Prakash
6/11/2020

किस्मत मेहता
स्तावेज लिपिक ला०नं० 111/
मेदिनीनगर, पलामू

Chandra prakash.
6/11/2020

किस्मत मेहता
स्तावेज लिपिक ला०नं० 111/
मेदिनीनगर, पलामू

मैं किस्मत मेहता दस्तावेज दस्तावेज नवीस ला.नं. 111/03 स्थान मेदिनीनगर. प्रमाणित करता हूँ कि दलील में जिस-जिस व्यक्ति का छाया-चित्र लगा है का बायें हाथ के सभी अंगुलियों का निशान मेरे सामने लिया गया है ता: 06-11-2020

मसौदाकर्ता - किस्मत मेहता दस्तावेज नवीस ला.नं. 111/03 स्थान मेदिनीनगर, दस्तावेज पढ़ कर दोनों पक्षों को सुना व समझा दिया गया। ह० किस्मत 06/11/2020